

(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय

पुराना सचिवालय, नई दिल्ली –110054

संख्या एफ/डी.ई.15(1031)अधिनियम/2014/21626-37

दिनांक : 27-02-2014

अधिसूचना

संख्या एफ/डी.ई.15(1031)अधिनियम/2014

दिनांक फरवरी 2014 :-

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के नियम 43 सहपठित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007, यथा संशोधित, में निम्न संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इन नियमों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय ( पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) (संशोधन) आदेश, 2014 कहा जाएगा।
- (2) यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

2. निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय (पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के लिए दाखिला प्रक्रिया) आदेश, 2007, के -

“(क) उपखण्ड 14(ख) में, उपखण्ड (iv) के नीचे दी गई तालिका में -

- (i) पंक्ति संख्या 4 व प्रविष्टियां जो कॉलम संख्या 1, 2 एवं 3 के विपरीत दर्शाई गई है, को हटाया जाता है।
- (ii) कॉलम संख्या 3 में, कुल योग के विपरीत दर्शाई गई संख्या “100” के स्थान पर संख्या “95”, को प्रतिस्थापित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

*मधु रानी तेवतिया*  
27.02.14

(डॉ० मधु रानी तेवतिया)  
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

संख्या डी.ई.15(1031)अधिनियम/2014/21626-37

दिनांक : 27-02-2014

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव (उपराज्यपाल दिल्ली) दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
4. निदेशक (शिक्षा) दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
5. निदेशक (शिक्षा), उत्तर/दक्षिण/पूर्वी दिल्ली नगर निगम ।
6. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ।
7. निदेशक, सूचना एवं प्रसार निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड ।
9. सभी विशेष/अपर निदेशक/आर डी ई/जे डी ई/डी डी ई/ए डी ई,  
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
10. सभी शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार ।
11. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में डालने के  
अनुरोध सहित ।
12. गार्ड फाइल ।

मधु तेवतिया  
27.02.14

(डॉ० मधु रानी तेवतिया)  
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)